

पेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पंचायत, नौगावां सादात, जनपद-अमरोहा।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किस्त की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-19/2016/आर.एफ.221/नौ-9-2016-04 आर.एफ./16 दिनांक 16 मार्च, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु ब्याज रहित ऋण के रूप नगर पंचायत, नौगावां सादात, जनपद-अमरोहा को धनराशि 340.37 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹0 170.185 लाख अवमुक्त की गयी। उक्त निकाय द्वारा अवमुक्त धनराशि का उपयोग करते हुये अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत उपर्युक्त शासनादेश संख्या-19/2016/आर.एफ.221/नौ-9-2016-04आर.एफ./16 दिनांक 16 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अन्तर्गत नगर पंचायत, नौगावां सादात, जनपद-अमरोहा को अवशेष धनराशि कुल ₹0 170.185 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तर लाख अठारह हजार पाँच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -:

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-'6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मलजल तथा सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा नगर विकास योजना-0303-नगर पंचायत-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक-'6215-जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-आयोजनागत-02-मल-जल तथा

सफाई-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-नया सवेरा नगर विकास योजना-0301- नगर निगम-30-निवेश/ऋण ' में उपलब्ध बचत से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित निकाय द्वारा चालू कार्यो हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2017 तक करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार 30प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) संख्या-19/2016/आर.एफ.221/नौ-9-2016-04 आर.एफ./16 दिनांक 16 मार्च, 2016 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक-बी.एम.-9 प्रपत्र

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2017/आर.एफ: 32 (1)/नौ-9.2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, 30प्र0, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, अमरोहा ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, 30प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 30प्र0 इलाहाबाद।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
7. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।
8. सम्बन्धित नगर पंचायत, अध्यक्ष, 30प्र0।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8
10. गार्ड फाइल।
11. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)

उप सचिव।

o/c

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2016-2017

आवंटन दिनांक-20/01/2017


प्रेषण संख्या:- 24
आवंटन आदेश संख्या:- 001-24-2017-RF20-9-9-17-04RF-16
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2016-2017 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
03 - नया सवेरा नगर विकास योजना
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	अमरोहा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	17018500	17018500
		प्रगामी	25562500	25562500
	योग	वर्तमान	17018500	17018500
		प्रगामी	25562500	25562500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रुपया एक करोड़ सत्तर लाख अठारह हजार पाँच सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रुपया दो करोड़ पचपन लाख बासठ हजार पाँच सौ


(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी